

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 (एक वर्ष) के लिए विस्तारित करने के संबंध में।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सह पठित 243(Y) के अनुपालन तथा बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1835 दिनांक-20.02.2019 द्वारा किया गया।

2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये अंतरिम प्रतिवेदन जनवरी, 2020 में सौंपा गया तथा अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 2021 को राज्य सरकार को समर्पित किया गया। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ वित्तीय वर्ष 2021-25 तक के लिए लागू की गयी।

3. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा दिनांक-31.03.2025 को समाप्त हो गयी है। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अप्राप्त रहने के कारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3640 दिनांक-27.03.2025 के माध्यम से षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विस्तारित किया गया।

4. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की विस्तारित अनुशंसा अवधि दिनांक-31.03.2026 को समाप्त हो गयी है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की विस्तारित अनुशंसा अवधि समाप्त होने एवं सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान राशि का हस्तांतरण संभव नहीं हो पायेगा तथा अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित होंगी। अतः षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा जो वित्तीय वर्ष 2021-25 तक के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरांत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 (एक वर्ष) के लिए विस्तारित किया जाता है।

6. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी होगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक-20.05.2026 की बैठक के मद संख्या-05 में दी गयी है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 35/रा0वि0आ0-01/2025 5039 पटना, दिनांक- 27-05-2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 35/रा0वि0आ0-01/2025 5039 पटना, दिनांक- 27-05-2026

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/पंचायती राज विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 35/रा0वि0आ0-01/2025 5039 पटना, दिनांक- 27-05-2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव